

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

शुद्धि पत्र

सं०सं० 05 / उ०नि०ब०(आ०)05 / 2017

उद्योग विभाग के राज्यादेश संख्या 1512 दिनांक 25.05.2017 के आलोक में आवंटन संख्या 14/आ० दिनांक 29.05.2017 द्वारा विपत्र कोड 23-2852801020160 के विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में रू० 2520.60 लाख (पच्चीस करोड़ बीस लाख साठ हजार मात्र) का आवंटन निर्गत किया गया है।

इसी क्रम में उद्योग निदेशालय के ज्ञापांक 171 दिनांक 11.01.18 द्वारा उक्त स्वीकृत/आवंटित राशि में रू० 1450.56 (चौदह करोड़ पचास लाख छप्पन हजार) मात्र का प्रत्यापण किया गया है।

विपत्र कोड 23-2852801020160 के विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से रू० 2520.60 लाख (पच्चीस करोड़ बीस लाख साठ हजार) मात्र के स्थान पर रू० 1070.04 लाख (दस करोड़ सत्तर लाख चार हजार) मात्र पढ़ा जाय।

तदनुसार निर्गत आवंटन संख्या 14/आ० दिनांक 29.05.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आवंटन की अन्य शर्त यथावत रहेंगे।

RS 16/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 16/1/18

ज्ञापांक 94/317

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RS 16/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 16/1/18

ज्ञापांक 94/317

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-01(स०), उद्योग विभाग/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RS 16/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।